राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रभात बनाम गोपाल 207/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/01/2025 पारित करते हुये तदनुसार तहसीलदार जालसू को राज. टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम बरना, पटवार क्षेत्र बरना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण आराजी खसरा नंबर 201 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 202 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 203 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 204 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 206 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 207 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर 209 रकबा 2.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 210 रकबा 1.25 हैक्टयेर, खसरा नंबर 209 रकबा 2.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 210 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 211 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 212 रकबा 0.04 हैक्टयेर, खसरा नंबर 213 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 223 रकबा 0.07 हैक्टेयर व खसरा नंबर 224/910 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 7.77 हैक्टेयर का उभयपक्ष का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर, पक्षकारान को नोटिस देकर, उनकी उपस्थिति में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/01/2025 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसरण में जमाबन्दी में दर्ज उभयपक्ष के हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स पक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रभात बनाम गोपाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	। पक्षकारान के मध्य विभाजन एक अनिवार्य एवं आवश्यक प्रक्रियां है, ऐसेमें अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती दी गयी है, जिसे स्वीकार किया जाकर सहखातेदारान के मध्य होने वाले विभाजन को रौका जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/01/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णया आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	